अपील सूचना अधिकार संख्या 128/2016 अनवानी उग्रसेन ज्याणी पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी वार्ड न0 1 लालगढ जाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

30–08–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री उग्रसेन ज्याणी उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री उग्रसेन ज्याणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.03.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

1. ग्राम पंचायत लालगढ़ जाटान की भावी योजनाओ के लिए आरक्षित भूमि को जिला कलक्टर द्वारा आवंटन किस नियम के तहत किया गया। जो जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 3601–3606 दिनांक 16.05.16 द्वारा आदेश दिया गया, इसकी सूचना देवें।
2. जिला कलक्टर के पत्र क्रमांक 3601–3606 द्वारा ग्राम पंचायत की आरक्षित भूमि को बिना ग्राम पंचायत का पक्ष सुनवाई किये अन्य पक्ष को आवंटन करने का क्या आधार था।
3. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक 3601–3606 दिनांक 16.05.16 द्वारा आवंटन आदेश की पूरी फाईल की फोटो प्रति देवें।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनांओ के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा 20रूपये का पोस्टल आर्डर चाहे जाने पर उसके द्वारा दिनांक 16.06.16 को 20 रूपये का पोस्टल आर्डर भिजवा दिया गया था किन्तु उसे आज तक सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा अपना प्रतिवेदन सं0 7331 दिनांक 19.08.16 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में पत्र सं0 4234 दिनांक 07.06.2016 के द्वारा अपीलार्थी को निर्धारित फीस जमा करवाने के लिए लिखा गया था जो उसके द्वारा जमा करवाये जाने पर रजि0 पत्र सं0 5793 दिनांक 27.07.16 से सूचना उपलब्ध करवा दी गई है।

पत्रावली में उपलब्ध सामान्य शाखा के रिकार्ड अवलोकन से पाया गया कि पत्र सं0 4234 दिनांक 07.06.16 के द्वारा 7 पेज की सूचना के लिए 2रूपये प्रति पेज के हिसाब राशि जमा करवाने के लिए प्रार्थी को लिखा गया था जो प्रार्थी द्वारा जमा करवाये जाने पर रजि0 पत्र सं0 5793 दिनांक 27.07.16 के द्वारा 7 पेज की सूचना प्रार्थी को भिजवा दी गई है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति की साथ अधिनस्थ कार्यालय का रिकार्ड आदेश की प्रति सहित लौटाया जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.08.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञा.रा.

(ज्ञाना राम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर